कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 42/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.02.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 05.02.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-कोतवाली:-धोखाधड़ी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.10.2024 को वादी पवन कुमार पुत्र लालजी राम निवासी ग्राम दीनापुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी जो सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड में उप-क्षेत्रिय प्रबन्धक (डीआरएम) के रूप में आजमगढ़ में परिक्षेत्र में कार्यरत हैं, जिसकी शाखा पूरे भारत में कार्यरत है द्वारा गरीब महिलाओं का समूह बनाकर समूह ऋण द्वारा उन्हें लघु रोजगार के लिए ऋण प्रदान कर उन्हें सक्षम एंव सशक्त बनाने का कार्य किया जाता है। इस संस्था की एक शाखा आजमगढ़ की सीटी शाखा है, जो ग्राउण्ड फ्लोर, कोमल नगर कालोनी, पावनी ब्लाक नियर रेलवे स्टेशन आजमगढ में है। इस शाखा में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा समूह ऋण का लाभ पाने वाले लाभार्थियों का घर एवं उनका पहचान कर उनका समूह बनाकर समूह लोन करना और लोन हो जाने के पश्चात कंपनी के नियमानुसार लोन की आने वाली किस्तों को तिथिनुसार एकत्रित कर उसे कंपनी के बैंक खाते में जमा करवाना था। लेकिन कंपनी के ऑडिट रिर्पोट में यह पाया गया कि आजमगढ सीटी शाखा के कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों को दिये गये लोन की किस्तवार किस्तों को वसूला गया और वसूली गयी राशि जो कुल 11,36,994/- रू को कंपनी के बैंक खाते में जमा नहीं किया गया। कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों से जिन किस्तों को वसूला गया उन किस्तों की वसूली नगद एंव अपने पर्सनल यूपीआई एकाउन्ट करके उक्त राशि का गबन किया गया है। इन कर्मचारियों द्वारा प्रभावित ग्राहकों के लोन एंव एंव सीएमआर कार्ड पर हस्ताक्षर कर उन्हें यह भरोसा दिलाया कि यह राशि कंपनी के खाते में जमा की जा रही है। शाखा में कार्यरत कर्मचारियों में एक कर्मचारी 01. अबु हुजैफा पुत्र इम्तेयाज अहमद के द्वारा 12 ग्राहको की फर्जी आधार कार्ड बनाकर उन पैसों को अपने परिचितों के एकाउन्ट में ट्रान्सफर कराके कुल 9,26,524 रू0 का गबन किया गया है। दूसरे कर्मचारी 02. अमरेश कुमार राय पुत्र अरूण कुमार राय ग्राम व पोस्ट-नरही बलिया उप्र जो उपरोक्त शाखा में फील्ड आफिसर के पद पर कार्यरत थे, द्वारा 1,46,770/- रू गबन किया गया है। तीसरे कर्मचारी 03. जयचन्द्र यादव पुत्र बच्चेलाल ग्राम-आनापुर, पोस्ट-गोपीगंज, एसआरएन भदोही उप्र जो उप शाखा प्रबन्ध के पद पर कार्यरत थे, द्वारा 51,005/- रू का गबन चौथे कर्मचारी 04. श्रवण गीरी पुत्र आयोध्या गीरी गोपालपुर, सहोदरा बलिया यूपी जो फील्ड आफिसर के पद पर कार्यरत थे, द्वारा 12,695-रू0 का गबन किया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 577/24 धारा 34,409,420,467,468,471,504,506 भादवि बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 04 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 408 भादवि का लोप करते हुए धारा 409 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 05.02.2025 को नि0अ0 रफी आलम मय हमराह द्वारा खबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अबू होजैफा पुत्र इम्तेयाज अहमद नि0 रसूलपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ उम्र करीब 28 वर्ष को शारदा तिराहे से सिधारी की ओर जाने वाली पक्की सड़क पर बने तमसा नदी पुल पर से समय करीब 10.05 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण:-

1. अबू होजैफा पुत्र इम्तेयाज अहमद नि0 रसूलपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ उम्र करीब 28 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 577/24 धारा 34/ 409/ 420/ 467/ 468/ 471/504/506 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

प्रेस-नोट

साइबर थाना/सेल जनपद आजमगढ़

साइबर थाना जनपद आजमगढ़ द्वारा मुबारकपुर स्थित सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल में साइबर जागरूकता हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आज दिनांक 05.02.2025 को *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना के निर्देशन में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक अनंत चन्द्रशेखर के नेतृत्व में* साइबर थाना जनपद आजमगढ़ द्वारा *सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर आजमगढ़* में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में *प्रभारी साइबर थाना निरीक्षक राजीव कुमार यादव* द्वारा छात्र-छात्राओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यशाला में साइबर एक्सपर्ट द्वारा निम्न साइबर अपराधों के प्रकार व उससे बचाव के उपायों के बारे में बताया गया।

01. किसी को भी अपने बैंक/एटीएम की गोपनीय पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।
02. किसी भी ई-कामर्स कम्पनी का डिलिवरी प्राप्त करते समय डिलिवरी कोड देना होता है, कोड को देनें से पूर्व पूरा मैसेज अवश्य पढें कि जो कोड आपके मोबाइल पर आया है वह सम्बन्धित का डिलिवरी कोड ही है कि कहीं कोई साइबर फ्राड से संबंधित ओटीपी तो नहीं है।
03. डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं को बताते हुए बताया गया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा कोई वीडियो कॉल या फोन कॉल आपके पास आता है तो आप अलर्ट हो जाए क्योंकि ये लोग साइबर अपराधी होते हैं और झांसा देकर लोगों को ठगने का काम करते हैं।
04. सोशल मीडिया पर आप अपना पॉसवर्ड बहुत ही सिंपल न रखें उसे स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हुए बनाए ताकि वह स्ट्रांग रहे और कोई हैक न कर सके।
05. किसी भी आनलाइन गेम को खेलते समय अपने ईमेल एवं पासवर्ड को अपने साथ खेल रहे प्लेयरों के साथ शेयर ना करें।

और अंत में साइबर एक्सपर्ट द्वारा बताया गया कि अगर किसी के साथ कोई साइबर फ्राड हो जाता है तो तत्काल सहायता हेतु *साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करें या फिर साइबर अपराध की शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में या ऑफिसियल वेबसाइट पर दर्ज करायें या अपने नजदीकी साइबर थाना/साइबर सेल में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।*

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 05.02.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा जान से मारने के नियत से हमला करने में दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 06 हजार रूपयें/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना रौनापार: जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 03 आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 06 हजार रूपयें/- जुर्माना

➡ दिनांक- 22.05.2015 को वादी मुकदमा दीन दयाल यादव पुत्र बालकिशुन यादव निवासी ग्राम फरीदपुर, थाना रौनापार आजमगढ़ की तहरीर पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 85/2015 धारा 147,148,149,307,504 भादवि बनाम अभियुक्तों 01. शिवप्रसाद सिंह पुत्र हीरा सिंह 02. प्रसिद्ध नारायण सिंह पुत्र हीरा सिंह 03. अभिषेक सिंह पुत्र प्रसिद्ध नारायण सिंह समस्त निवासीगण ग्राम फरीदपुर, थाना रौनापार, आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 15 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 05.02.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीस जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 01.शिवप्रसाद सिंह पुत्र हीरा सिंह 02. प्रसिद्ध नारायण सिंह पुत्र हीरा सिंह 03. अभिषेक सिंह पुत्र प्रसिद्ध नारायण सिंह समस्त निवासीगण ग्राम फरीदपुर, थाना रौनापार, आजमगढ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 6,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।